अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

का. आ. 3819(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीसिटी चित्तूर के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

बी.टेक कार्यक्रम अध्यादेश

(शैक्षिक वर्ष 2018-19 में प्रवेश लेने वाले बैच के लिए[1])

1.	शैक्षिक कैलेंडर	209
2.	प्रवेश	209
3.	उपस्थिति	210
4.	आचार और अनुशासन	211
5.	कार्यक्रम में परिवर्तन	211
6.	पाठ्यक्रम संरचना	212
7.	पंजीकरण	212
8.	कार्यक्रम की अवधि	213
9.	संस्थान से अस्थायी निकासी	213
10.	अकादमिक परीविक्षा एवं निलंबन	213
11.	श्रेणीकरण नीति	214
12.	पाठ्यक्रमों को दोहराना	215
13.	निष्पादन का मूल्यांकन	217
14.	परीक्षाएं	219
15.	मेक-अप-परीक्षाएं	219
16.	श्रेणी रोकना	219
17.	पाठ्यक्रम छोड़ने के मापदंड	219
18.	बी.टेक डिग्री प्रदान किए जाने की पात्रता	219

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीसिटी, चित्तूर

[1] 2017-18 को अथवा उससे पहले प्रवेश लेने वाले बैचों के लिए उनमें निर्धारित शैक्षिक विनियमों का पालन किया जाएगा।

IndiaCode

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीसिटी, चित्तूर

(संसद के अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान)

बी.टेक कार्यक्रम अध्यादेश

(शैक्षिक वर्ष 2018-19 में प्रवेश लेने वाले बैच के लिए[2])

1. संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.टेक) कार्यक्रम इन बी.टेक अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होंगे।

2. इन अध्यादेशों के अंतर्गत भविष्य में किसी नए विषय/कार्यक्रम को शामिल किया जा सकता है।

3. कोई भी छात्र इन अध्यादेशों द्वारा यथा निर्धारित शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात बी.टेक डिग्री प्रदान किए जाने का पात्र होगा।

4. संस्थान में निम्नलिखित बी.टेक कार्यक्रम होंगे:

क. कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी (सीएसई) : (4 वर्ष/8 छमाही)

ख. इलैक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी (ईसीई) : (4 वर्ष/8 छमाही)

1. शैक्षिक कैलेंडर

1.1 प्रत्येक शैक्षिक कैलेंडर लगभग सत्रह सप्ताह की अवधि (प्रत्येक छमाही में न्यूनतम आठ कार्य घंटो की कक्षाओं) के दो छमाही: एक मानसून छमाही और बसंत छमाही के दो सेमेस्टरों में बंटा होता है।

1.2 इसके अतिरिक्त बसंत और मानसून सेमेस्टरों के बीच ग्रीष्म अवकाश हो सकता है।

1.3 सीनेट ने पंजीकरण की तारीख, मध्य -छमाही और अंतिम छमाही की परीक्षाओं, अंतर-छमाही अवकाश तथा अन्य गतिविधियों की तारीख को शामिल करते हुए सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की अनुसूची अनुमोदित की जिसे सत्र के लिए शैक्षिक कैलेंडर में निर्धारित किया जाएगा।

2. प्रवेश

2.1 भा.सू.प्रौ.स. श्रीसिटी, चित्तूर में अवर स्नातकों की प्रत्येक शाखा जिसके लिए प्रवेश लिया जाना है, में सीटों की संख्या का निर्णय भा.सू.प्रौ.स. श्रीसिटी चित्तूर की सीनेट द्वारा लिया जाएगा। सीटें समय-समय पर भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से नि:शक्त अभ्यर्थियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होती हैं।

2.2 प्रत्येक वर्ष में बी.टेक कार्यक्रम में प्रवेश भारत सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। वर्तमान में प्रवेश संबंधित वर्ष के लिए सीएसएबी द्वारा संचालित एक काउंसलिंग के माध्यम से संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अनुसार एचएससी परीक्षा में प्रदर्शन पर आधारित होते हैं।

2.3 संस्थान के किसी कार्यक्रम में अंनतिम रूप से अथवा अन्यथा प्रवेश प्राप्त करने वाला प्रत्येक छात्र अर्हक डिग्री/अनंतिम प्रमाण पत्र तथा सीनेट द्वारा यथा निर्धारित अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा। ये दस्तावेज निर्धारित तारीख से पहले प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित तारीख तक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने वाले अथवा प्रवेश की किसी पात्रता को पूरा नहीं करने वाले छात्र के प्रवेश, को सीनेट द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

2.4 यदि यह पाया जाता है कि छात्र ने कोई गलत सूचना दी है अथवा प्रवेश लेने के समय किसी संगत सूचना को छिपाया है तो किसी छात्र के प्रवेश को सीनेट द्वारा बाद के किसी समय में भी निरस्त किया जा सकता है।

2.5 संस्थान किसी भी छात्र के प्रवेश को निरस्त करने और उसे असंतोषजनक शैक्षिक प्रदर्शन अथवा अनुशासनात्मक आधार पर उसके कैरियर के किसी भी चरण में अध्ययन समाप्त करने के लिए कहने का अधिकार आरक्षित रखता है।

[2] 2017-18 को अथवा उससे पहले प्रवेश लेने वाले बैचों के लिए उनमें निर्धारित शैक्षिक विनियमों का पालन किया जाएगा।

3. उपस्थिति

3.1 (क) छात्रों द्वारा उन सभी कक्षाओं (लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रयोगशालाएं, प्रेक्टिकल, कार्यशालाएं इत्यादि) में भाग लेना अपेक्षित होता है जिनके लिए उन्हें पंजीकृत किया गया हो ।

(ख) छात्रों को सभी कक्षाओं में भाग लेना होगा। तथापि, किसी आंशिक स्वास्थ्य समस्या अथवा इस प्रकार की किसी समस्या जैसे किसी मामले में छात्र अधिकतम 15 प्रतिशत कक्षाओं में अनुपस्थित रह सकता है, इस 15 प्रतिशत के पश्चात छात्र की अनुपस्थिति दंडित की जाएगी। यदि यह माना जाए कि छात्र किसी पाठ्यक्रम में अनुपस्थित एटीटी% है, तो

एटीटी ≥ 85%

अर्जित श्रेणी	प्रदत्त श्रेणी
ओ	ओ
ए	ए
बी	बी
सी	सी
डी	डी
पी	पी
एफ	एफ

70% ≤ एटीटी < 85%

अर्जित श्रेणी	प्रदत्त श्रेणी
ओ	ए
ए	बी
बी	सी
सी	डी
डी	पी
पी	पी
एफ	एफ

IndiaCode

- चिकित्सा कारणों से यदि कोई छात्र उपस्थिति की श्रेणी 70 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के बीच रहता है तो उसे संस्थान के मानदंडों के अनुसार सहायक चिकित्सा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के पश्चात डानउश्रेणीकरण से छूट दी जा सकती है। चिकित्सा कारणों से छूट का दावा करने के पश्चात भी यदि छात्र की उपस्थिति 85 प्रतिशत से कम रहती है तो उसके श्रेणी में उपरोक्तानुसार एक श्रेणी की कमी की जाएगी। किसी पाठ्यक्रम में 70 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र को एफ श्रेणी दिया जाएगा।

(2019-20 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए लागू)

किसी उपयुक्त और सिद्ध कारण जैसे कि चिकित्सा संबंधी कारण के लिए मामला दर मामला आधार पर छात्र की अनुपस्थिति के लिए उपस्थिति संबंधी नियमों में छूट दी जा सकती है। इसका विवेकाधिकार संस्थान के निदेशक के पास है।

अवकाश

3.2 निम्नलिखित अवकाश इनमें से किसी खंड में आ सकता है:

क) छात्र के छमाही के दौरान संस्थान से दूर रहने की आशा नहीं की जाती है।

ख) छात्र को ऐसे अवसरों जैसे कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के लिए अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।

ग) तीन अथवा उससे अधिक दिन के लिए लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्र को सहायक दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ अवकाश हेतु पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उसके अभिभावकों द्वारा प्रमाणित हो।

घ) तीन सप्ताह से कम की बीमारी के कारण उपयुक्त अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुपस्थति की अनुमति दी जा सकती है। आकस्मिकताओं के कारण ये अनुमति बाद में और यदि आवश्यक हो अभिभावकों द्वारा ली जा सकती है।

ङ) यदि किसी छमाही में अनुपस्थिति तीन सप्ताह से अधिक हो तो छात्र को उसके द्वारा पंजीकरण करवाये गए सभी पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए उस छमाही को ड्राप करना होगा। सीनेट केवल विशेष परिस्थितियों में और छूटे गए समय के लिए छात्र की पढ़ाई पूरी करने की योग्यता का आकलन करने के पश्चात अधिक लंबी अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान कर सकता है।

च) छमाही 1 और 2 के विषयों में असफल छात्र असफल विषयों की किसी भी संख्या के लिए फोर्मेटिव असेसमेंट चुन सकते हैं बशर्ते कि वे उस विषय में अधिकतम 'पी' प्राप्त करने के पात्र हों। यदि छात्र इन प्रत्येक विषयों के नियमित पाठ्यक्रमों

में भाग लेने के इच्छुक हों तो उन्हें तदंतर छमाही में भाग लेना होगा। ऐसे मामलों में छात्र तदंतर छमाही में वे पाठ्यक्रम नहीं ले सकता है जिनमें पूर्व अपेक्षा के अनुसार वर्तमान छमाही पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है ।

छ) प्रथम वर्ष के अंत में दूसरे वर्ष के बी.टेक में प्रोन्नत किए जाने के लिए छात्रों को न्यूनतम 50 प्रतिशत सीजीपीए क्रेडिट प्राप्त करना होगा जो 4.0 से कम नहीं होगा।

ज) आपवादिक छात्रों को अध्यक्ष (शैक्षिक)/निदेशक की पूर्व अनुमति से विदेश में किसी उद्योग अथवा विश्वविद्यालय में शोध कार्यकलाप करने अथवा इंटर्नशिप के लिए एक छमाही के अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।

झ) खंड 3.2 (क) से 3.2 (घ) के अनुसार अवकाश को उपस्थिति के लिए माफ नहीं किया जाएगा।

3.3 छात्र द्वारा अवकाश पर जाने से पहले अपनी अनुपस्थिति के संबंध में छात्रावास जिसमें वह रह रहा है, उसके वार्डन और संबंधित अनुदेशक को सूचित करने की जिम्मेदारी छात्र की होगी।

4. आचरण और अनुशासन

4.1 छात्र संस्थान के भीतर और बाहर स्वयं को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के छात्र के रूप में आचरण करेंगे।

4.2 छात्रों की अनुशासनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए दो समितियां है शैक्षिक अनुशासन समिति और छात्रावास अनुशासन समिति। शैक्षिक अनुशासन समिति छात्रों से संबंधित शैक्षिक कदाचार के मामलों में गैर अनुशासन संबंधी मामले देखती है। छात्रावास अनुशासन समिति छात्रों से संबंधित सभी गैर-शैक्षिक गैर अनुशासन के मामले देखती है।

5. कार्यक्रम में परिवर्तन

5.1 सामान्यत: किसी विशिष्ट अवर स्नातक डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाला छात्र उक्त कार्यक्रम को पूरा होने तक अध्ययन जारी रखेगा।

5.2 तथापि विशेष मामलों में संस्थान केंद्रीय सीट आबंटन बोर्ड (सीएसएबी) के माध्यम से प्रवेश लेने वाले किसी छात्र को पहले दो छमाही के पश्चात् किसी एक शाखा से दूसरी शाखा में परिवर्तन करवाने की अनुमति दे सकता है। इन परिवर्तनों की अनुमति इनमें निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। .

5.3 दूसरे छमाही के पश्चात् शाखा/कार्यक्रम में परिवर्तन के लिए केवल उन छात्रों को पात्र माना जाएगा जिन्होंने अपने अध्ययन के पहले दो सेमेस्टरों में प्रथम प्रयास में ही अपेक्षित सभी समान क्रेडिट पूरे और उत्तीर्ण किए हों।

5.4 शाखा/कार्यक्रम में परिवर्तन के लिए आवेदन पात्र छात्र द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही दिया जाना चाहिए। अकादमिक अनुभाग प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के दूसरे छमाही के अंत में आवेदन आमंत्रित कर सकता है और पूर्ण प्रपत्र अधिसूचना में निर्धारित अंतिम तारीख तक ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

5.5 छात्र वरियता के क्रम में अपनी रूचि की शाखा/कार्यक्रम को सूचीबद्ध कर सकता है जिसके लिए वह परिवर्तन चाहता है। आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् विकल्प में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.6 शाखा/कार्यक्रम में परिवर्तन केवल आवेदक की योग्यता के अनुसार ही किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए दूसरे छमाही के अंत में प्राप्त सीजीपीए पर विचार किया जाएगा। अंक बराबर होने की स्थिति में आवेदकों के जेईई रैंक पर विचार किया जाएगा।

5.7 आवेदक को इस सीमा के अधीन आवदेक की वरीयता के क्रम में शाखा/कार्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है कि उस शाखा की छात्र संख्या मौजूदा संख्या के दस प्रतिशत से अधिक न हो जाए और उसे यह स्वीकृत संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

5.8 उपरोक्त नियमों के अनुसरण में शाखा/कार्यक्रम में किए गए सभी परिवर्तन संबंधित आवेदक के तीसरे छमाही से प्रभावी होंगे। इसके पश्चात् शाखा/कार्यक्रम में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.9 शाखा/कार्यक्रम में सभी परिवर्तन अंतिम होंगे और आवेदक के लिए बाध्यकारी होंगे। किसी भी छात्र को किसी भी परिस्थिति में प्रस्तावित शाखा/कार्यक्रम में परिवर्तन से मना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. पाठ्यक्रम संरचना

6.1 पाठ्यक्रमों के शिक्षण को क्रेडिट में मान्यता दी जाएगी; पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट निम्नलिखित सामान्य पद्धति पर आधारित होंगे:

i. प्रत्येक व्याख्याअवधि के लिए एक क्रेडिट

ii. प्रत्येक दो ट्यूटोरियल अवधि के लिए एक क्रेडिट

iii. प्रत्येक प्रयोगशाला अथवा प्रेक्टिकल सत्र के लिए प्रत्येक तीन पीरियड हेतु एक क्रेडिट

6.2 संस्थान की बी.टेक डिग्री उत्तीर्ण करने के लिए छात्र को किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या में निर्धारित क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करना अपेक्षित होगा।

6.3 पाठ्यक्रम कार्य आवश्यकताओं को मुख्यत: निम्नलिखित चार पाठ्यक्रम समूहों में बांटा जा सकता है:

ii. i. समान अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम

iii. ii. विशिष्ट अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम

iiii. iii. मानविकी, गणित और विज्ञान

6.4 किसी कार्यक्रम के लिए कुल पाठ्यक्रम पैकेज में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

ii. i. समान अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम

iii. ii. कार्यक्रम कोर पाठ्यक्रम

iiii. iii. कार्यक्रम इलेक्टिव पाठ्यक्रम

iiv. iv. संस्थागत इलेक्टिव पाठ्यक्रम (एचएमएस इलेक्टिव सहित)

6.5 प्रत्येक बी.टेक कार्यक्रम में सीनेट द्वारा अनुमोदित एक पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम होंगे।

6.6 अनुदेश, परीक्षा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का माध्यम अंग्रेजी होगा।

6.7 संकाय सलाहकार: छात्रों की अनके अध्ययन पाठ्यक्रम की योजना बनाने और अकादमिक कार्यक्रम के संबंध में सामान्य सलाह लेने के लिए अध्यक्ष (अकादमिक)/निदेशक प्रत्येक छमाही में छात्रों के लिए एक संकाय सलाहकार नियुक्त करेगा।

6.8 उक्त विशिष्ट वर्ष की शैक्षिक गतिविधियों समन्वय करने के लिए छमाही वार कक्षा समिति अध्यक्ष हैं।

7. पंजीकरण

7.1 प्रत्येक छात्र को प्रत्येक छमाही के आरंभ होने पर पंजीकरण के लिए निर्धारित और शैक्षिक कैलेंडर (एकेडेमिक अलमानाक) में अधिसूचित तारीख पर सौंपे गए संकाय सलाहकार के माध्यम से अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करवाना अपेक्षित होता है। किसी नियम का उल्लंघन पाए जाने पर अथवा यदि अनुशासनात्मक कारणों से प्रतिबंध लगाया गया हो, तो एक अथवा अधिक पाठ्यक्रमों का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

7.2 अंतिम तिथि तक पंजीकरण करवाने में असफल छात्रों के मामले में यह माना जाएगा कि उन्होंने कार्यक्रम के छमाही से नाम वापस ले लिया है और भविष्य की कार्रवाई छात्र की स्थिति तथा इन अध्यादेशों के प्रावधानों पर आधारित होगी।

7.3 केवल उन छात्रो को पंजीकरण करवाने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने

क. पिछले सेमेस्टरों के सभी संस्थान, छात्रावास और पुस्तकालय की देनदारियों और दंड (यदि कोई हो) का भुगतान कर दिया हो।

ख. वर्तमान छमाही के लिए संस्थान और छात्रावास की सभी देनदारियों का अग्रिम भुगतान कर दिया हो, और

ग. किसी विशिष्ट आधार पर उसे पंजीकरण से वंचित नहीं किया गया हो।

IndiaCode

7.4 पंजीकरण के दौरान निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

क. छात्र को तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करवाने से पहले अनिवार्य रूप से प्रथम वर्ष के सभी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने अपेक्षित होंगे।

ख. सामान्यत:, किसी छमाही के दौरान पंजीकृत क्रेडिट की संख्या निर्धारित क्रेडिट के 70% से कम और 125% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7.5 छात्र संबंधित पाठ्यक्रम अनुदेशक और अकादमिक अनुभाग को सूचित करते हुए किसी पाठ्यक्रम को जोड़ अथवा छोड़ सकते हैं बशर्ते कि यह अकादमिक कैलेंडर (एकेडेमिक अल्मानेक) में दी गई तारीख के भीतर किया गया हो और उपरोक्त खंड 7.3 में दी गई शर्तों के अनुसार हो।

8. कार्यक्रम की अवधि

8.1 सामान्यत: कोई छात्र अवर स्नातक कार्यक्रम की सभी आवश्यकताएं आठ लगातार सेमेस्टरों में पूरा करेगा। तथापि, छात्र को कार्यक्रम अधिकतम 12 छमाही में पूरा करना होगा जिसमें से प्रत्येक छमाही के लिए छात्र न्यूनतम एक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करवाएगा, इसमें लिया जाने वाला अधिकतम समय 6 वर्ष का होगा। यदि इनमें से किसी भी सीमा का अतिक्रमण किया जाता है तो कार्यक्रम में छात्र की छात्रावस्था को निरस्त कर दिया जाएगा।

9. संस्थान से अस्थायी निकासी

9.1 संस्थान के किसी अवर स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले किसी छात्र को लंबी बीमारी अथवा परिवार में गंभीर आपदा के आधार पर एक छमाही अथवा अधिक की अवधि के लिए संस्थान से अस्थायी निकासी की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते:

क. वह संस्थान को छमाही आरंभ होने के न्यूनतम 6 सप्ताह के भीतर अथवा उस तारीख जबकि उसने अंतिम बार कक्षा में भाग लिया हो, जो भी बाद में हो, के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ ऐसी निकासी के पूर्ण कारणों का उल्लेख करते हुए और अपने अभिभावक की सहमति संलग्न करते हुए संस्थान को आवेदन करता है;

ख. संस्थान इस बात से संतुष्ट हो कि निकासी की अवधि की गणना करते हुए छात्र उपरोक्त खंड 8 में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर बी.टेक डिग्री की अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पायेगा;

ग. संस्थान/छात्रावास/पुस्तकालय में कोई बकाया अथवा मांग की देनदारी न हो।

9.2 खंड 9.1 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्थान से अस्थायी निकासी प्राप्त करने वाले छात्र को तब तक फीस/प्रभार (ट्यूशन फीस और छात्रावास देनदारी को छोड़कर) का भुगतान करना अपेक्षित होगा जब तक उसका नाम क्रमांक सूची में है। तथापि, फीस जिसका एक बार भुगतान कर दिया गया हो, वापस नहीं की जाएगी।

9.3 सामान्यत: किसी छात्र को अवर स्नातक कार्यक्रम के छात्र के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान ऐसे दो अस्थायी निकास की ही अनुमति प्रदान की जा सकती है।

10. शैक्षिक निषेध और निलंबन

10.1 किसी छात्र की किसी कार्यक्रम से निम्नलिखित आधार पर निलंबित किया जा सकता है:

क) किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने का अर्थ संबंधित पाठ्यक्रम में न्यूनतम 'पी' श्रेणी प्राप्त करना होता है।

ख) वे छात्र जिन्होंने किसी पाठ्यक्रम में एफ श्रेणी प्राप्त किया हो, उन्हें फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से पाठ्यक्रम पूरा करने अथवा तदंतर सेमेस्टरों में पाठ्यक्रम को दोहराने का अवसर प्राप्त होगा।

ग) यदि कोई छात्र किसी छमाही में अवकाश स्वीकृत करवाये बगैर 6 (छ:) सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है।

घ) अनुशासनात्मक आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है।

ङ) प्रवेश के समय गलत दस्तावेज देने अथवा गलत घोषणा देने का दोषी पाये जाने पर।

IndiaCode

च) निम्नानुसार सीजीपीए प्राप्त करने में विफल रहने पर:

ii. (i) 4.00 अथवा उससे नीचे के सीजीपीए को अगले छमाही में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iii. (ii) छात्र को पाठ्यक्रम के अंत में 5.0 और उससे अधिक के सीजीपीए की न्यूनतम आवश्यकता प्राप्त करनी अपेक्षित होगी।

छ) कार्यक्रम की अनुमत्य अधिकतम अविध का अतिक्रमण किया हो।

10.2 छात्रों/ अभिभावकों के लिए अधिसूचना

क. यदि किसी छात्र का किसी छमाही में एसजीपीए 5.00 से कम अथवा उसके समान है तो छात्र तथा उसके अभिभावक को सूचना जारी की जानी अपेक्षित होगी।

ख. पहले छमाही के अंत में 5.00 से कम एसजीपीए प्राप्त करने वाले छात्र को शैक्षिक प्रोबेशन पर रखा जाएगा। शैक्षिक प्रोबेशन पर रखे गए छात्र को संकाय सलाहकार की सलाह के अनुसार कम क्रेडिट लेने होंगे। छात्र उस स्थिति में शैक्षिक प्रोबेशन से बाहर आ सकता है यदि वह लगातार दो छमाही में **5.00 अथवा उससे अधिक का सीजीपीए** प्राप्त कर ले।

11. श्रेणीकरण नीति

11.1 संस्थान संकाय सदस्यों को ग्रेडों के लिए अंकों की श्रेणी का निर्णय लेने की लोचशीलता के साथ संगत श्रेणीकरण प्रणाली अपनाता है। पाठ्यक्रम के सभी मूल्यांकन अंकों के आधार पर किए जाएंगे। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक औसत अंक/2 अथवा अधिकतम अंक/3 जो भी न्यूनतम हो, होगा।

11.2 संकाय सदस्य कोई अन्य तार्किक पद्धति जैसे कि सामान्यीकृत कर्व, जेड स्कोर इत्यादि को श्रेणी का निर्णय लेने के लिए नहीं अपना सकते हैं।

11.3 सामान्य रूप से 'ओ' श्रेणी की संख्या पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों के 10 प्रतिशत तक सीमित होती है। तथापि प्रोजेक्ट कार्य में कम संख्या के साथ इलेक्टिक पाठ्यक्रमों में उच्चतम श्रेणी दिए जाने वाले छात्रों की संख्या पर कक्षा समिति (सीसी) में विचार विमर्श और अनुमोदन किया जाएगा।

11.4 किसी पाठ्यक्रम के लिए संकाय सदस्य द्वारा अपनायी गई श्रेणीकरण अवसंरचना सीसी की जांच के अधीन होगी।

11.5 श्रेणीकरण से संबंधित किसी भी मामले का निर्णय सीनेट के अध्यक्ष के परामर्श से अध्यक्ष (अकादमिक) द्वारा लिया जाएगा।

11.6 छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक छात्र को छमाही के अंत में प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक अंतिम लेटर श्रेणी दिया जाता है।

शैक्षिक वर्ष 2018-19 में अथवा उसके पश्चात (नई श्रेणीकरण प्रणाली) में प्रवेश लेने छात्रों के लिए लेटर श्रेणी और संगत श्रेणी प्वाईंट निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

प्वाईंट	**श्रेणीकरण स्केल** (2018-19 **से**)	
	श्रेणी	**विवरण**
10	ओ	उत्कृष्ट
9	ए	बहुत अच्छा
8	बी	अच्छा
7	सी	औसत से उपर
6	डी	औसत
5	पी	उत्तीर्ण
0	एफ	अनुत्तीर्ण

इसके अतिरिक्त एक पारगमन श्रेणी 'आई' होगा।

11.7 किसी छात्र द्वारा कोई पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया जाना और क्रेडिट अर्जित किया हुआ तब माना जाता है यदि उसने उक्त पाठ्यक्रम में 'आई' अथवा 'एफ' के अतिरिक्त कोई लेटर श्रेणी प्राप्त किया हो। किसी भी पाठ्यक्रम में लेटर एफ का अर्थ उक्त पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होगा।

11.8 पारगमन श्रेणी 'आई'

क. किसी पाठ्यक्रम का कोई अध्यापक किसी छात्र को 'आई' श्रेणी प्रदान कर सकता है यदि छात्र (i) बीमारी अथवा दुर्घटना जिसने उसे परीक्षा में भाग लेने से बाधित किया गया हो (ii) परीक्षा के समय परिवार में कोई आपदा जिसमें संस्थान के विचार से छात्र को कैम्पस से जाना आवश्यक था, के कारण अंतिम छमाही परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर मजबूर था। कोई छात्र 'आई' श्रेणी प्राप्त करने का पात्र केवल तब होगा जबकि उसकी कक्षा में उपस्थिति और मूल्यांकन के अन्य घटकों में प्रदर्शन पूरा और संतोषजनक रहा हो।

ख. छात्रों द्वारा प्राप्त सभी 'आई' श्रेणी मेक-अप परीक्षा के पश्चात लेटर श्रेणी में परिवर्तित किए जाएंगे। मेक-अप परीक्षा अंतिम छमाही परीक्षाओं के तुरंत बाद आयोजित की जा सकती है।

11.9 प्रत्येक छमाही के लिए एक छमाही श्रेणी प्वाईंट औसत (एसजीपीए) निकाला जाएगा। एसजीपीए का आकलन निम्नानुसार किया जाएगा:

एसजीपीए = (सी1*जी1 + सी2*जी2 + सी3*जी3 + ••• + सीएन*जीएन) / (सी1 + सी2 + सी3 + ••• + सीएन)

जहां, एन छमाही के दौरान पंजीकृत पाठ्यक्रमों की संख्या है, सी। किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आबंटित क्रेडिट की संख्या है, और सी पाठ्यक्रम के लिए प्रदत्त श्रेणी से संगत श्रेणी प्वाईंट है।

11.10 प्रत्येक छमाही के अंत में एक संचयी श्रेणी प्वाईंट औसत (सीजीपीए) निकाला जाएगा और एसजीपीए तथा उक्त छमाही में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए श्रेणी के साथ उसे सूचित किया जाएगा। सीजीपीए पहले छमाही से छमाही के अंत तक छात्र का संचयी प्रदर्शन प्रदान करता है और इसका निम्नानुसार आकलन किया जाएगा:

सीजीपीए = (सी1*जी1 + सी2*जी2 + सी3*जी3 + ••• + सीएम*जीएम) / (सी1 + सी2 + सी3 + ••• + सीएम)

जबकि एम उक्त छमाही तक पंजीकृत पाठ्यक्रमों की संख्या है, सी। किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आबंटित क्रेडिट की संख्या है, और सी। पाठ्यक्रम के लिए प्रदत्त श्रेणी से संगत श्रेणी प्वाईंट है।

जब कोई छात्र किसी पाठ्यक्रम को दोहराता है अथवा उसे प्रतिस्थापित करता है, तो उक्त पाठ्यक्रम में उसके द्वारा प्राप्त किए गए निचले श्रेणी को उस छमाही से आगे सीजीपीए के आकलन में अनदेखी की जाती है।

11.11 एसजीपीए और सीजीपीए दोनों को दशमलव के दूसरे स्थान तक राउंड ऑफ किया जाएगा और उस प्रकार से दर्ज किया जाएगा। जब इन सीजीपीए का प्रयोग छात्रों के किसी समूह की योग्यता मेरिट का निर्धारित करने के उद्देश्य से किया जाता है तो केवल राउंड किए गए मूल्यों का ही उपयोग किया जाएगा।

11.12 जब कोई छात्र किसी छमाही के दौरान किसी पाठ्यक्रम के लिए 'आई' अथवा 'डब्ल्यू' प्राप्त करता है तो उक्त छमाही के लिए एसजीपीए तथा उक्त छमाही के अंत में सीजीपीए का 'आई' और 'डब्लयू' ग्रेडिड पाठ्यक्रमों पर ध्यान न देते हुए संभावित आकलन किया जाएगा। 'आई' और 'डब्ल्यू' ग्रेडों को उपयुक्त ग्रेडों में परिवर्तित करने के पश्चात् उक्त छमाही के लिए एसजीपीए और सीजीपीए का पुन: आकलन परिवर्तित ग्रेडों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप से किया जाएगा।

11.13 तथापि, अवर स्नातक कार्यक्रमों के लिए ऐसी कुछ अन्य शैक्षिक आवश्यकताएं हैं जहां छात्रों को निम्नलिखित दो श्रेणी अर्थात् 'पी'-उत्तीर्ण और 'एफ'-अनुत्तीर्ण दिये जाएंगे। सभी स्वतंत्र अध्ययन/गैर-क्रेडिट पाठ्यक्रमों से संबंधित अतिरिक्त प्रोजेक्ट इस श्रेणी में आते हैं। इन ग्रेडों से जुड़े किसी भी श्रेणी प्वाइंट और इन पाठ्यक्रमों में प्रदर्शन को एसजीपीए अथवा सीजीपीए के आकलन में नहीं लिया जाता है। तथापि, डिग्री प्रदान किया जाना इन सभी पाठ्यक्रमों में 'पी' श्रेणी प्राप्त किये जाने के अधीन होता है।

12. पाठ्यक्रमों को दोहराना

12.1 किसी पाठ्यक्रम (किसी इलेक्टिव अथवा प्रयोगशाला प्रैक्टिकल से अन्य) में श्रेणी 'एफ' प्राप्त करने वाले छात्र को उक्त पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए छात्र के पास तीन विकल्प होंगें:

1. छात्र किसी नियमित छमाही के लिए पंजीकरण करवाते हुए पाठ्यक्रम को दोहरा सकता है जब पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा हो।

2. छात्र किसी छमाही अवकाश में इसके लिए पंजीकरण करवाते हुए पाठ्यक्रम को दोहरा सकता है जब पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा हो।

3. छात्र उक्त पाठ्यक्रम में रचनात्मक आकलन करवा सकता है, यदि यह कोर पाठ्यक्रम हो।

12.2 किसी इलेक्टिव पाठ्यक्रम में श्रेणी 'एफ' प्राप्त करने वाले छात्र को तदंतर छमाही/वर्ष में नये पंजीकरण के रूप में पाठ्यक्रम को दोहराना पड़ सकता है यदि उसे किसी पाठ्यक्रम के लिए वह प्रदान किया जाए अथवा पंजीकरण किया जाए जिसमें प्राधिकारियों द्वारा अन्य इलेक्टिव पाठ्यक्रम माना गया हो।

12.3 प्रयोगशाला/प्रैक्टीकल पाठ्यक्रम में असफल होने के मामले में छात्र को अगले उपयुक्त छमाही में उसके लिए पुन: पंजीकरण करवाना होगा।

12.4 जब कोई छात्र स्वयं को किसी पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत करवाता है तो उसके श्रेणी का उक्त छमाही में एसजीपीए का आकलन के लिए प्रयोग किया जाएगा। दोबारा किसी पाठ्यक्रम को लेने वाले अथवा रचनात्मक आकलन देने वाले छात्र पहली सिटिंग में प्राप्त किए गए मूल श्रेणी की तुलना में संशोधित श्रेणी प्राप्त करेंगे।

12.5 पहले छमाही के अंत में:

1. सभी छात्र सीजीपीए/एफ श्रेणी की संख्या पर ध्यान न देते हुए दूसरे छमाही के लिए पंजीकरण करवाने के पात्र होंगे।

2. सीजीपीए≤ 4.0 वाले छात्र को प्रोबेशन पर रखा जाएगा और छात्र तथा उनके अभिभावकों, दोनों को लिखित में सूचित किया जाएगा।

3. पहले छमाही के किसी पाठ्यक्रम में एफ श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्र के पास पहले छमाही के परिणाम घोषित होने के पश्चात् और दूसरे छमाही के अंत से पहले पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उसे रचनात्मक आकलन के तहत पूरा करने का अवसर होगा।

12.6 पहले वर्ष के अंत में:

1. कार्यक्रम को जारी रखने और दूसरे वर्ष में प्रोन्नत किए जाने के लिए निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा किया जाना अपेक्षित होगा:

क. छात्र ने पहले वर्ष के लिए निर्धारित क्रेडिट का न्यूनतम 50 प्रतिशत सफलतापूर्वक पूरा किया हो; और

ख. सीजीपीए ≥ 4.0 (रचनात्मक आकलन के माध्यम से प्राप्त नए श्रेणी को शामिल करते हुए) हों।

12.7 उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले छात्रों को दूसरे वर्ष में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। उनके पास नए प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में पंजीकरण करवाते हुए कार्यक्रम को जारी रखने का अवसर होगा।

12.8 यदि कोई छात्र किसी पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होता है तो वह एक रचनात्मक आकलन ले सकता है और यदि छात्र रचनात्मक आकलन में पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे उक्त पाठ्यक्रम को दोहराना होगा। यदि छात्र उसे दोहराने में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे एक रचनात्मक आकलन में भाग लेने का पुन: अवसर दिया जाएगा तथा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने तक यह चक्र दोहराया जाएगा।

12.9 चूंकि कार्यक्रम को पूरा करने की अधिकतम अवधि छ: वर्ष की है इसलिए कोई भी छात्र पहले वर्ष को दो बार से अधिक नहीं दोहरा सकता है।

12.10 रचनात्मक आकलन:

यूजी1 पाठ्यक्रम मूल पाठ्यक्रम तथा छात्रों की मौलिक समझ सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित ब्लॉक होते हैं। तदंतर सेमेस्टरों में आगे बढ़ने से पहले छात्रों को इन पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करना होता है। इसमेंयूजी1/यूजी2 छात्रों को तब तक मूल पाठ्यक्रमों का कड़ाई से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होने पर दिया जाता है जब तक वे ज्ञान और कौशल के अपेक्षित न्यूनतम स्तर को प्राप्त न कर ले। तथापि हमारा अनुभव यह दर्शाता है कि भिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले थोड़े से ही छात्र छमाही की अवधि के भीतर उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अत: ऐसे छात्रों के लिए भिन्न समय अवधि प्रदान करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें सक्षमता के अपेक्षित स्तर तक लाया जा सके। रचनात्मक आकलन सीएसई और ईसीई कार्यक्रमों में कोर पाठ्यक्रमों की मूल समझ को मजबूत बनाने के लिए होता है। सभी कोर पाठ्यक्रमों के लिए तदंतर सेमेस्टरों में इस प्रकार के रचनात्मक आकलन किए जाएंगे। इलेक्टिव पाठ्यक्रमों में अल्प प्रदर्शन करने वाले छात्रों को तदंतर सेमेस्टरों में दूसरे इलेक्टिव लेने का विकल्प दिया जा सकता है।

IndiaCode

12.10.1.प्रस्तावित रचनात्मक आकलन निम्नानुसार है:

क. एफ ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र पहले छमाही के परिणामों की घोषणा होने के तुरंत बाद रचनात्मक आकलन चुन सकते हैं और तदंतर छमाही के अंत से पहले उसे पूरा कर सकते हैं।

ख. छात्रों को अनुसूचित आधार पर संकाय से मिलना होगा और मूल्यांकन की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

ग. सामान्यत: कोई नियमित कक्षाएं नहीं होंगी परंतु छात्र पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कौशल को प्राप्त करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त करेंगे।

घ. छात्र को पाठ्यक्रम के मूल घटकों के अनुसार मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन के अनुसूची के अनुसार परीक्षाएं/असाइनमेंट/क्विज इत्यादि देने चाहिए।

ङ. संकाय मूल्यांकन की प्रत्येक मद के लिए अंक प्रदान करेगा और सभी घटकों को सफलतापूर्वक पूरा करने के अंत में छात्र को श्रेणी प्रदान करेगा।

च. फोर्मेटिव असेसमेंट में दिए जाने वाले अधिकतम उत्तीर्ण श्रेणी केवल पी श्रेणी होंगे।

छ. नियमित पाठ्यक्रम के लिए उपस्थिति रचनात्मक आकलन के उपस्थिति के अनुसार होगी और धारा 3.1 (ख) में दिये गये उपस्थिति नियम लागू होंगे।

ज. छात्र केवल एक रचनात्मक आकलन ही ले सकता है। यदि छात्र रचनात्मक आकलन में असफल हो जाता है तो उसे नियमित कक्षाओं में भाग लेना और तदंतर छमाही में समूचा पाठ्यक्रम दोहराना आवश्यक होगा।

झ. रचनात्मक आकलन की अवधि परिणाम की घोषणा की तारीख से और अगले छमाही के अंत से पहले तक होगी।

ञ. स्प्रिंग छमाही में अनुत्तीर्ण छात्रों को ग्रीष्म अवकाश के दौरान रचनात्मक आकलन में भाग लेना चाहिए और उसे अगले शैक्षिक वर्ष के आरंभ होने के चार सप्ताह पहले पूरा करना अपेक्षित होगा।

13. प्रदर्शन का मूल्यांकन

13.1 पूरे छमाही के दौरान छात्र के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा और संबंधित अध्यापक अथवा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त समुचित समिति द्वारा निम्नलिखित आधार पर श्रेणी प्रदान किए जाएंगे।

क. पाठ्यक्रमों के मामले में,

I. थ्योरी पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन अनुदेशकों के मूल्यांकन, क्विज, मिड छमाही परीक्षा और अंतिम छमाही परीक्षा पर आधारित होगा, तथा

II. प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन उपस्थिति, सौंपे गए कार्यों के मूल्यांकन तथा अंतिम छमाही परीक्षा/मौखिक परीक्षा पर आधारित होगा।

ख. प्रोजेक्ट कार्य के लिए मूल्यांकन पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे गए कार्य, सेमिनार, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्ट मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन पर आधारित होगा।

ग. अन्य आवश्यकताओं जैसे कि सेमिनार, अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों इत्यादि के मामले में मूल्यांकन श्रेणी प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

घ. मिड छमाही और अंतिम छमाही परीक्षा प्रत्येक छमाही के लिए संस्थान के शैक्षिक अनुभाग द्वारा केंद्रीय रूप से संचालित की जाएगी। प्रत्येक थ्योरी पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से दो मिड छमाही और एक अंतिम छमाही परीक्षा होनी चाहिए। इन परीक्षाओं की अवधि समय-समय पर सीनेट द्वारा यथा निर्धारित होगी। कक्षा-परीक्षा अथवा क्विज का आयोजन संबंधित अनुदेशक द्वारा किया जाएगा।

ङ.. मूल्यांकन के विभिन्न घटकों के लिए दी गई भार की घोषणा छमाही के आरंभ में संबंधित अनुदेशकों द्वारा की जाएगी।

च. मिड-छमाही परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन के परिणाम की घोषणा अनुदेशकों द्वारा की जाएगी। मूल्यांकनों में संशोधन की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

I. छात्रों द्वारा मौके पर जांच के लिए किसी एक व्याख्याकक्षा/प्रयोगशाला कक्षा/टयूटोरियल अथवा विशेष सत्र के दौरान, जैसा कि अनुदेशक द्वारा उपयुक्त माना जाए, मूल्यांकित उत्तर पांडुलिपि उपलब्ध करवाई जाएगी;

II. छात्र द्वारा उत्तर पांडुलिपि की जांच के लिए अधिसूचित समय अनुसूची से न्यूनतम एक सपताह पहले वैयक्तिक पाठ्यक्रम अनुदेशक छात्रों की सूचना के लिए वेबसाइट के माध्यम से प्रश्नपत्र से संबंधित मॉडल उत्तर प्रदर्शित कर सकता है;

III. छात्र मौके पर अनुदेशक द्वारा मूल्यांकन में खामी यदि कोई हो, का उल्लेख करेगा;

IV. उत्तर पांडुलिपि की मौके पर जांच पूरी होने के पश्चात् छात्र को अपनी उत्तर पांडुलिपि ले जाने की अनुमति दी जाएगी और उसके पश्चात् किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

छ. किसी पाठ्यक्रम के लिए अंतिम श्रेणी को संबंधित अनुदेशक द्वारा अंतिम छमाही की परीक्षा के पश्चात् शैक्षिक कैलेण्डर (अकादमिक अल्मानेक) में निर्धारित तिथि के भीतर शैक्षिक अनुभाग को आगे प्रस्तुत किए जाने के लिए अपने कक्षा समिति चेयर को प्रस्तुत करना होगा।

13.2 स्नातक थीसिस परियोजना (बीटीपी) प्रोजेक्ट:

(क) किसी छात्र को सामान्यत: छठे और सातवें छमाही में एक वर्षीय बीटीपी प्रोजेक्ट करना होता है। बीटीपी प्रोजेक्ट के लिए दो छात्रों की टीम की अनुमति दी जाती है। प्रोजेक्ट कार्य सामान्यत: दो चरणों में होता है, प्रत्येक चरण एक छमाही में होता है। पहले चरण के अंत में छात्र को आंतरिक प्रोजेक्ट मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकित किए जाने के लिए निर्धारित तिथि तक अपने कार्य की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। कार्य का दूसरा चरण अगले छमाही में जारी रहता है।

(ख) प्रोजेक्ट कार्य के दूसरे चरण का मूल्यांकन उसी तरीके से किया जाता है जैसा कि पहले चरण में किया गया हो। तथापि, दूसरे चरण में छात्रों को परीक्षा के रिपोर्ट की असीमित प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

मौखिक परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने के पश्चात् प्रत्येक छात्र को उसके समग्र प्रदर्शन के लिए मूल्यांकन समिति के सदस्यों और पर्यवेक्षक द्वारा श्रेणी दिए जाएंगे।

(ग) दो चरण प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में अथवा एकल चरण के प्रोजेक्ट में अपर्याप्त प्रगति वाले छात्रों के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की घोषित अंतिम तारीख से अधिकतम 10 सप्ताह के लिए ग्रीष्म अवकाश के लिए समय विस्तार दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित छात्रों को 'आई' श्रेणी अस्थायी रूप से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि रिपोर्ट अनुमत्य समय अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो 'आई' श्रेणी स्वत: 'एफ' श्रेणी में परिवर्तित हो जाएगा।

13.3 ऑनर्स कार्यक्रम:

क. दूसरे वर्ष के अंत में छात्र को बी.टेक ऑनर्स कार्यक्रम में प्रवेश लेने का अवसर दिया जाता है। बी.टेक ऑनर्स के लिए पंजीकृत छात्र को नियमित बी.टेक के लिए सामान्य क्रेडिट से 8 क्रेडिट अधिक लेने होते हैं। ऑनर्स करने के लिए छात्र को किसी विशिष्ट संकाय सदस्य के अंतर्गत 2 वर्ष की अवधि (तीसरे और चौथे वर्ष) के लिए कोई विशिष्ट विषय/क्षेत्र पर कार्य करना होता है। ऑनर्स कार्यक्रम के लिए प्रवेश पात्रता निम्नानुसार है:

1. पहले दो वर्षों में न्यूनतम 8.0 का सीजीपीए

2. किसी विशिष्ट अधीक्षक के तहत कार्य करने के इच्छुक छात्र के लिए अधीक्षक को भी उसके साथ कार्य करने हेतु सहमत होना चाहिए।

ख. ऑनर्स में कार्य करने वाले छात्र को पृथक बीटीपी करना आवश्यक नहीं होता है। छात्र को केवल एक बार अपनी ऑनर्स अधीक्षक को बदलने की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि छात्र किसी छमाही के अंत में ऑनर्स को छोड़ देता है, तो छठे और सातवें छमाही के अंत में छात्र को प्रोजेक्ट को उसका बीटीपी माना जाएगा। पांचवें छमाही में किया गया ऑनर्स कार्य शून्य माना जाएगा।

लेटर श्रेणी प्रदान करने की पद्धति

13.4 अनुदेशक अकादिमक कैलेंडर में निर्दिष्ट तारीख तक लेटर श्रेणी की एक प्रति शैक्षिक अनुभाग को प्रस्तुत करेगा।

13.5 संबंधित अनुदेश द्वारा अंतिम-छमाही परीक्षा उत्तर पांडुलिपि और श्रेणी में परिवर्तित किए जाने वाले अंक पत्र को एक छमाही की अवधि के लिए रखा जाएगा।

13.6 पहले से प्रदान किए गए श्रेणी में परिवर्तन: यदि कोई छात्र यह समझता है कि उसे किसी पाठ्यक्रम में अपेक्षित श्रेणी नहीं दिया गया है तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रश्नों का सही से मूल्यांकन किया गया है, अगला छमाही आरंभ होने के एक सप्ताह के भीतर अनुदेशक को अंतिम छमाही की उत्तर पांडुलिपि दिखाने का अनुरोध कर सकता है। श्रेणी में किसी परिवर्तन के मामले में अनुदेशक द्वारा पूर्ण औचित्य के साथ इसकी सूचना कार्यक्रम समन्वयक के माध्यम से आकदमिक समन्वयक को दी जाएगी।

14. परीक्षाएं

14.1 किसी छात्र को निम्नलिखत कारणों से अंतिम छमाही परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है:

क. यदि उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो।

ख. किसी अध्यापक की सिफारिश पर, यदि छमाही के दौरान लेक्चर/टयूटोरियल/स्टूडियो/प्रेक्टिकल कक्षाओं उसकी उपस्थिति निर्धारित से कम हो।

15. मेक-अप परीक्षाएं

15.1 वे छात्र जिन्होंने वैद्य कारण से अंतिम छमाही परीक्षा में भाग नहीं लिया हो और जिन्हें ''आई'' श्रेणी प्रदान किया गया हो, वे मेक-अप परीक्षा के पात्र होते हैं जिसे अंतिम छमाही परीक्षा के कुछ दिन पश्चात आयोजित किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से पाठ्यक्रम के लिए मेक-अप परीक्षा का उपयोग मेक-अप परीक्षा के लिए किया जा सकता है।

15.2 मिड-छमाही परीक्षा और क्विज के लिए कोई मेक-अप परीक्षा निर्धारित नहीं की जाएगी। उपयुक्त साधन से छात्र का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी पूर्णत अनुदेशक की होगी कि क्या वह मामले की सत्यता से संतुष्ट है।

16. श्रेणी रोकना

16.1 यदि छात्र ने अपने देनदारियों का भुगतान नहीं किया हो अथवा उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो, तो श्रेणी को रोक लिया जाएगा।

17. कार्यक्रम छोड़ने का मानदंड

17.1 कोई छात्र कार्यक्रम को छोड़ सकता है, यदि वह बी.टेक डिग्री कार्यक्रम की निर्धारित समय अवधि के भीतर 5.0 अथवा उससे उपर की न्यूनतम सीजीपीए की आवश्यकता को पूरा न कर पाए।

17.2 कोई छात्र 5, 6, 7 और 8 छमाही के दौरान किसी भी समय ऑनर्स कार्यक्रम को छोड़ सकता है और 6 और 7 छमाही के दौरान किए गए कार्य को परिवर्तित कर सकता है तथा इन्हें बीटीपी प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाएगा।

18. बी.टेक डिग्री प्रदान किए जाने की पात्रता

18.1 कोई छात्र बी.टेक डिग्री प्रदान किए जाने का पात्र तब होगा यदि उसके पास निम्नलिखित हों:

क. प्रत्येक पाठ्यक्रम (थ्योरिटिकल, प्रयोगशाला, स्टूडियो, कार्यशाला, सत्र इत्यादि), सेमीनार, प्रोजेक्ट आदि में श्रेणी ''पी'' अथवा उससे उपर के श्रेणी के साथ डिग्री की सभी क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा किया हो;

ख. बी.टेक. और बी.टेक ऑनर्स डिग्री के लिए आवश्यक कुल न्यूनतम क्रेडिट पूरे किए हों।

IndiaCode

ग. डिग्री के लिए सभी गैर-क्रेडिट आवश्यकताओं जैसे कि शिक्षणेत्तर कार्यकलाप, औद्योगिक प्रशिक्षण इत्यादि (यदि कोई हो) को संतोषजनक रूप से पूरा किया हो;

घ. संस्थान, छात्रावास, एनएसएस इत्यादि के लिए कोई राशि देय न हो

ड. उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो।

18.2 बी.टेक डिग्री प्रदान किए जाने की संस्थान की सीनेट द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए और शासी मंडल द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए।

[फा.सं. 52-2/2017-टीएस.I]

सुखबीर सिंह संधू, अपर सचिव (त.शि.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2019

S.O. 3819(E).—In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 34 (1) (2) and (3) of the Indian Institutes of Information Technology (Public-private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017), the Senate with the approval of the Board of Governors, make the following Ordinances of Indian Institute of Information Technology, Sricity Chittoor.

IndiaCode

B.Tech. Programme Ordinances

(For the batch admitted in the academic year 2018-19[1])

1.	Academic Calendar	221
2.	Admission	221
3.	Attendance	222
4.	Conduct and Discipline	223
5.	Change of Programme	223
6.	Course Structure	223
7.	Registration	224
8.	Duration of the Programme	224
9.	Temporary Withdrawal from the Institute	225
10.	Academic Probation and Termination	225
11.	Grading Policy	225
12.	Repetition of Courses	227
13.	Assessment of Performance	229
14.	Examinations	230

[1] For the batches admitted on or before 2017 - 18, the academic regulations laid there on were followed.

15. Make-up Examinations 230

16. Withholding of Grades 231

17. Exit Criterion 231

18. Eligibility for the Award of B.Tech Degree 231

B.Tech Programme Ordinances

(For the batch admitted in the academic year 2018-19[2])

5. All Bachelor of Technology (B.Tech) programmes offered by the Institute shall be governed by these B.Tech Ordinances.

6. Under these Ordinances any new discipline(s)/programmes may be introduced in future.

7. A student becomes eligible for the award of the B.Tech degree after fulfilling all the academic requirements as prescribed by these Ordinances.

8. The Institute shall have the following B.Tech Programmes:

a. Computer Science and Engineering (CSE) : (4 years / 8 semesters)

b. Electronics and Communication Engineering (ECE) : (4 years / 8 semesters)

1. ACADEMIC CALENDAR

1.1 Each academic session is divided into two semesters of approximately seventeen weeks duration (with at-least eighty working days of classes in each semester): a Monsoon semester and a Spring semester.

1.2 In addition, there may be a summer break between Spring and Monsoon semesters.

1.3 The Senate approved schedule of academic activities for a session, inclusive of dates for registration, mid- semester and end-semester examinations, inter-semester breaks, and any other activities, shall be laid down in the Academic Calendar (Academic Almanac) for the session.

2. ADMISSION

2.1 The number of seats in each branch of the undergraduate programmes for which admission is to be made in the IIIT Sri City, Chittoor will be decided by the Senate of IIIT Sri City, Chittoor. Seats are reserved for candidates belonging to Other Backward Classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Physically Challenged candidates and Economically Backward Classes as per the decisions of Government of India from time to time.

2.2 Admission to the B.Tech programme in any year will be based as per orders from the Government of India. Currently admissions are based on performance in the Joint Entrance Examination (JEE) Main and HSC examinations as per Central Board of Secondary Education (CBSE) guidelines through a counseling conducted by the CSAB for the respective year.

2.3 Every student, admitted provisionally or otherwise to any programme of the Institute, shall submit copies of the qualifying degree/provisional certificate and such other documents as prescribed by the Senate. These documents must be submitted before the prescribed date.The admission, provisional or otherwise, of any student who either does not submit the required documents by the stipulated date or fails to meet any other stipulated requirement for admission can be cancelled by the Senate.

2.4 The admission of any student may also be cancelled by the Senate, at any later time, if it is found that the student had supplied some false information or suppressed some relevant information while seeking admission.

[2] For the batches admitted on or before 2017 - 18, the academic regulations laid there on were followed.

IndiaCode

2.5 The Institute reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/ her studies at any stage of his/her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or on disciplinary grounds.

3. ATTENDANCE

3.1 (a) Students are required to attend all the classes (Lectures, Tutorials, Laboratories, Practical, Workshops, etc) for which they have been registered.

(b) Students will have to attend all classes. However, to accommodate for any unforeseen events like minor health problems or so, a student can absent in any course, for a maximum of 15% of classes. Beyond this 15% margin, absence of a student is penalized as follows. Let the attendance of a student in a course be ATT%.

ATT ≥ 85%

Grade earned	Grade Awarded
O	O
A	A
B	B
C	C
D	D
P	P
F	F

70% ≤ ATT*< 85%

Grade earned	Grade Awarded
O	A
A	B
B	C
C	D
D	P
P	P
F	F

IndiaCode

- *Due to medical reasons, if a student falls in the range of 70% - 85% of attendance, he/shemay be exempted from downgrading after submission of supporting medical documents as per the institute norms. Even after claiming the attendance under medical reasons, if any student still has below 85% of attendance will have one grade reduction as mentioned above.A student whose attendance is less than 70% in a course is given F grade.

(*Applicable for students admitted in 2019-20)

The attendance rule can be relaxed for a student's absence for a genuine and proven reasons like medical reason, on a case by case basis. This discretion power lies with the Director of the Institute.

LEAVE OF ABSENCE

3.2 The following leave of absence may fall in any of the following clauses:

(a) Students are not expected to be away from the Institute during a semester.

(b) Students may be granted permission to leave for occasions like death in the immediate family circle.

(c) Any student who is absent for 3 or more days consecutively has to submit the leave letter along with the supporting documents, if any, attested by his / her parents.

(d) Absence due to illness not exceeding three weeks will be allowed after taking due permission. Due to emergencies, such permission may be taken later, and by the guardian if necessary.

(e) If the period of absence in a semester exceeds 18 working days, the student will have to drop the semester by dropping all courses he /she has registered for. The Senate may allow longer absences only in special circumstances and only after ascertaining the student's ability to make up for the lost time.

(f) Students who failed in semester 1 and 2 subjects may opt for formative assessment for any number of failed subjects, provided he / she will be eligible to obtain a maximum of "P" in such subjects. If these

students are willing attend regular courses of each of these subjects, then they must appear in the subsequent semester. In such cases, students cannot take courses in subsequent semesters that require the passing of the current semester courses as pre-requisite.

(g) At the end of the 1st year, students should earn a minimum of 50% of credits with CGPA not below 4.0, in order to be promoted to 2nd year

(h) Exceptional students are permitted to avail one semester break or more to do internship or research activity in Industry or Universities abroad, as long as it is within the maximum duration of the programme, with the prior approval of the Dean (Academics) / the Director.

(i) The leave of absence as per Clauses 3.2 (a) to 3.2 (d) will not be condoned for attendance.

3.3 It will be the responsibility of the student to intimate the Warden of the hostel in which he/she is residing, and the concerned instructors regarding his/her absence before proceeding on leave.

4. CONDUCT AND DISCIPLINE

4.1 Students shall conduct themselves within and outside the precincts of the Institute in a manner befitting the students of an Institution of National Importance.

4.2 There are two committees for handling disciplinary activities of students, viz., academic disciplinary committee and hostel disciplinary committee. Academic disciplinary committee handles indiscipline cases of academic misconduct relating to students. Hostel disciplinary committee handles all non-academic indiscipline cases relating to students.

5. CHANGE OF PROGRAMME

5.1 Normally a student admitted to a particular undergraduate degree programme will continue studying in that programme till completion.

5.2 However, in special cases the Institute may permit a student admitted through Central Seat Allocation Board (CSAB) to change from one branch of studies to another after the first two semesters. Such changes will be permitted, in accordance with the provisions laid down hereinafter.

5.3 Only those students will be considered eligible for change of branch / programme after the second semester, who have completed and passed all the common credits required in the first two semesters of their studies in their first attempt.

5.4 Applications for a change of branch/programme must be made by intending eligible students in the prescribed form. The academic section will call for applications at the end of second semester of each academic year and the completed forms must be submitted by the last date specified in the notification.

5.5 Students may enlist their choices of branch/programme, in order of preference, to which they wish to change over. It will not be permissible to alter the choices after the application has been submitted.

5.6 Change of branch/programme shall be made strictly in order of merit of the applicants. For this purpose the CGPA obtained at the end of the second semester shall be considered. In case of a tie, the JEE rank of the applicants will be considered.

5.7 The applicants may be allowed a change in branch/programme, strictly in order of merit of the applicants, subject to the limitation that the strength of a branch should not fall below the existing strength by more than ten percent and should not go above the sanctioned strength by more than ten percent.

5.8 All changes of branch/programme made in accordance with the above rules will be effective from the third semester of the applicants concerned. No change of branch/programme shall be permitted after this.

5.9 All changes of branch/programme will be final and binding on the applicants. No student will be permitted, under any circumstances, to refuse the change of branch/programme offered.

6. COURSE STRUCTURE

6.1 Teaching of the courses shall be reckoned in credits; Credits are assigned to the courses based on the following general pattern:

i. One credit for each lecture period

ii. One credit for every two tutorial periods

IndiaCode

iii. One credit per every three periods for each Laboratory or Practical session

6.2 In order to qualify for a B. Tech. degree of the Institute, a student is required to complete the credit requirement as prescribed in the curriculum for a particular programme

6.3 The course work requirements may be broadly divided into following four main groups of courses:

i. Common Engineering courses

ii. Specialized Engineering courses

iii. Humanities, Mathematics and Science

6.4 The total course package for a programme will consist of the following components:

ii. Common Engineering courses

iii. Programme Core courses

iiii. Programme Elective courses

iiv. Institutional Elective courses (including HMS electives)

6.5 Every B. Tech. Programme will have a curriculum and syllabi for the courses approved by the Senate.

6.6 Medium of instruction, examination and project reports will be in English.

6.7 Faculty Advisor: To help the students in planning their courses of study and getting general advice on the academic programme, the Dean (Academics)/ the Director will assign a Faculty Advisor to students for each semester.

6.8 There are semester-wise class committee chairs to coordinate the academic activities of that specific year.

IndiaCode

7 REGISTRATION

7.1 Every student is required to register for approved courses through the assigned Faculty Advisor at the commencement of each semester on the day fixed for such registration and notified in the Academic Calendar (Academic Almanac). The registration of one or more courses may be cancelled if they are found to violate some rules or if there are restrictions imposed due to disciplinary reasons.

7.2 Students failing to register by the deadline will have deemed to have withdrawn for the semester from the programme and the future course of action will be based on the student's status and the provisions of these Ordinances.

7.3 Only those students will be permitted to register who have

a. Cleared all Institute, Hostel and Library dues and fines (if any) of the previous semesters,

b. paid all required advance payments of Institute and Hostel dues for the current semester, and

c. not been debarred from registering on any specific ground.

7.4 During registration following conditions must be fulfilled:

a. A student must pass all first year courses before registering for the third year courses.

b. Normally, the number of credits registered for during a semester should not be less than 70% of the prescribed credits and should not exceed 125%.

7.5 Students may add and drop course(s) under intimation to the concerned course instructors and the academic section provided this is done within the date mentioned in the Academic Calendar (Academic Almanac) and as per the conditions given in clause 7.3 above.

8 DURATION OF THE PROGRAMME

8.1 Normally a student shall complete all the requirements for the undergraduate programme in eight consecutive semesters. However a student must complete the programme in at most 12 regular semesters in each of which the student registers for at least one course, the total time elapsed must not exceed 6 years. If either of these limits is crossed, the student's studentship in the programme will be terminated.

9 TEMPORARY WITHDRAWAL FROM THE INSTITUTE

9.1 A student who has been admitted to an undergraduate programme of the Institute may be permitted to withdraw temporarily from the Institute on the grounds of prolonged illness or grave calamity in the family for a period of one semester or more, provided:

a. He/she applies to the Institute within at least 6 weeks of the commencement of the semester or from the date he last attended his/her classes whichever is later, stating fully the reasons for such withdrawal together with supporting documents and endorsement of his/her guardian;

b. The Institute is satisfied that, counting the period of withdrawal, the student is likely to complete his/her requirements of the B. Tech. Degree within the time limits specified in Clause 8 above;

c. There are no outstanding dues or demands in the Institute/ Hostel /Library.

9.2 A student who has been granted temporary withdrawal from the Institute under the provisions of Clause 9.1 will be required to pay fees/charges (except tuition fees and hostel dues) till such time as his/her name is on the Roll List. However, fees once paid will not be refunded.

9.3 Normally, a student will be permitted only two such temporary withdrawals during his/her tenure as a student of the undergraduate programme.

10 ACADEMIC PROBATION AND TERMINATION

10.1 A studentship in a programme may be terminated on the following grounds:

(a) Completion of a course implies that a student obtains a minimum of 'P' grade in the respective course.

(b) Students who have obtained F grade in any core course(s) have the opportunity to complete the course(s) through formative assessment or redo the courses in the subsequent semesters.

(c) If a student is absent for more than 6 (six) weeks in a semester without sanctioned leave.

(d) A decision is taken on disciplinary grounds.

(e) On having been found to have been produced false documents or having made false declaration at the time of seeking admission.

(f) Failure to attain a CGPA as follows:

ii. CGPA of 4.00 and below will not be allowed to enroll in next semester

iii. The student has to attain the minimum graduating requirement of CGPA 5.0 and above at the end of the course

(g) The maximum permissible duration of the programme has been exceeded.

10.2 Notifications to Students / Parents

a. Intimation is to be issued to a student and his/her parent if he /she gets a SGPA of less than 5.00 in any semester.

b. A student getting an SGPA of less than 5.0 at the end of the first semester will be placed on academic probation. A student on academic probation will have to take less number of credits as per the advice of the faculty advisor. A student will come out of academic probation on getting a **CGPA of 5.00** or more in two consecutive semesters.

11 GRADING POLICY

11.1 The institute follows relative grading system with flexibility given to the faculty members to decide the mark ranges for the grades. All assessment of the course will be done on the basis of the marks. The passing minimum marks shall be the average marks/2 OR the maximum marks/3, whichever is minimum.

11.2 Faculty members can adopt any of the logical methods such as normalized curve, z-score, etc. to decide the grades.

IndiaCode

11.3 In general, the number of 'O' grade is restricted to the maximum of 10% of the registered students for the course. However in project work, elective courses with relatively less number of students, the number of students to be given the highest grade will be discussed and approved by the class committee (CC).

11.4. The grading structure adopted by the faculty member for a given course is subject to the scrutiny of the CC.

11.5 Any issues related to grading will be decided by the Dean (Academics) in consultation with the Chairman of the senate.

11.6 Based on the performance of a student, each student is awarded a final letter grade in each course at the end of the semester.

The letter grades and the corresponding grade points for students admitted on or after the academic year 2018-19 (new grading system) are given in the following table:

Points	**Grading Scale (from 2018 - 19)**	
	Grade	**Description**
10	O	Excellent
9	A	Very good
8	B	Good
7	C	Above Average
6	D	Average
5	P	Pass
0	F	Fail

IndiaCode

In addition, there shall be a transitional grade 'I'.

11.7 A student is considered to have completed a course successfully and earned the credits if he/she secures a letter grade other than 'I' or 'F' in that course. A letter grade F in any course implies a failure in that course.

11.8The Transitional Grade'I'

a. The instructor of a course may award the grade 'I' to a student if the latter was compelled to absent himself from the end semester examination on account of: (i) Illness or accident which disabled him from appearing at the examination. (ii) A calamity in the family at the time of the examination, which, in the opinion of the Institute, required the student to be away from the campus. A student will be eligible for the award of grade 'I' only if his/her attendance at classes and performance in other components of assessment are complete and satisfactory.

b. All 'I' grades obtained by students will be converted to a letter grade after a make-up examination. There may be a make-up examination shortly after the end semester examinations for the course.

11.9A Semester Grade Point Average (SGPA) will be computed for each semester. The SGPA will be calculated as follows:

$$SGPA = (C1*G1 + C2*G2 + C3*G3 + \cdots + Cn*Gn) / (C1 + C2 + C3 + \cdots + Cn)$$

where, n is the number of courses registered during the semester, Ci is the number of credits allotted to a particular course, and

Gi is the grade points corresponding to the grade awarded for the course.

11.10 A Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be computed at the end of each semester and communicated to the students along with the SGPA and the grades obtained by them for that semester. The CGPA gives the cumulative performance of the student from the first semester up to the end of the semester to which it refers, and will be calculated as follows:

$$CGPA = (C1*G1 + C2*G2 + C3*G3 + \cdots + Cm*Gm) / (C1 + C2 + C3 + \cdots + Cm)$$

where, m is the number of courses registered up to that semester, Ci is the number of credits allotted to a particular course, and

Gi is the grade points corresponding to the grade awarded for the course.

Whenever a student repeats or substitutes a course in any semester, the lower grade(s) obtained by him/her in the course is to be ignored in the computation of CGPA from that semester onwards.

11.11 Both SGPA and CGPA will be rounded off to the second place of decimal and recorded as such. Whenever these CGPA are to be used for the purpose of determining the merit ranking of a group of students, only the rounded off values will be used.

11.12 When a student gets the grade 'I' for any course during a semester, the SGPA for that semester and the CGPA at the end of that semester will be tentatively calculated ignoring 'I' graded course(s). After conversion of 'I' grade(s) to appropriate grade(s), the SGPA and CGPA for that semester will finally be recalculated after taking the converted grade(s) into account.

11.13 There are, however, a few other academic requirements for undergraduate programmes where student will be awarded following two grades viz., 'P' - Passed and 'F' - Failed. All independent study/additional projects belong to non-credit courses in this category. No grade points are associated with these grades and performance in these courses is not taken into account in the calculation of the SGPA or CGPA. However, the award of the degree is subject to obtaining a 'P' grade in all such courses.

12. REPETITION OF COURSES

12.1 Students obtaining the grade 'F' in any course (other than an elective and lab practical) will be deemed to have failed in that course. To pass in the course, the student will have three options:

1. The student can repeat the course by registering for it in a regular semester when the course is offered.
2. The student can repeat the course by registering for it in a summer semester break if it is offered.
3. The student can take up formative assessment in that course, if it is a core course.

12.2 Students obtaining the grade 'F' in an elective course may have to repeat the course as fresh registration in the subsequent semester/year if it is offered, or register for any course that is deemed by the authorities to be another elective course.

12.3 In case of failure in Laboratory/Practical course the student will have to re-register for it in the next appropriate semester.

12.4 When a student registers for a course, his/ her grade will be used for SGPA calculation in that semester. A student taking a course again or giving a formative assessment will get a revised grade in comparison with the original grade obtained in the first sitting.

12.5 At the end of the first semester:

4. All students are eligible to register for 2nd semester, irrespective of CGPA/no. of F grades.
5. A student with CGPA ≤ 4.0 is put on probation and both the student and their parents are informed in writing.
6. Students with F Grades in any course in the 1st semester will have an opportunity to complete it under formative assessment after announcement of 1st semester results and before the end of the 2nd semester in order to complete the course(s).

12.6 At the end of the first year:

IndiaCode

(1) In order to continue the programme and to be promoted to 2nd year, the following two conditions should be met:

(a) A student should have successfully completed minimum of 50% of the prescribed credits for the 1st year; and

(b) Students should have a CGPA ≥ 4.0 (inclusive of new grades obtained through formative assessment).

12.7 Students not meeting the above two requirements are not promoted to 2nd year. They have an opportunity to continue the programme in the subsequent academic year by registering as a repeating 1st year student.

12.8 One formative assessment can be taken after a student fails in a course and if the student fails to clear the course in formative assessment, he / she will have to repeat the course. If the student fails the course on repeating it, he /she will again be given a chance to appear in one formative assessment and the cycle will repeat till the student passes the course.

12.9 As the maximum duration for the completion of the programme is six years, a student cannot repeat first year more than twice.

12.10 Formative Assessment:

UG1 courses are basic courses and building blocks to ensure the fundamental understanding of the students. These courses have to be cleared by the students to proceed to subsequent semesters. The focus is to train UG1 / UG2 students to be competent enough by learning the fundamental courses rigorously until they attain the required minimum level of knowledge and skills. However, our experience shows that a sizable number of students who are coming from different backgrounds find it very difficult to meet the above requirements within the duration of a semester. Hence it is proposed to provide a variable time period to such students to bring them to the required level of competency. Formative assessment is to strengthen the fundamental understanding of the core courses in CSE and ECE programs. Similar formative assessment would be done in subsequent semesters for all core courses. In elective courses, underperforming students may have options to take other electives in subsequent semesters. In the case of final semester of the programme, a student may opt for formative assessment of the courses in which he/she failed in that course in order to complete the programme in that academic year.

12.10.1 The proposed formative assessment is as follows:

a. Students who have obtained F grade(s) may opt for formative assessment immediately after announcement of 1st semester results & complete before end of subsequent semester.

b. Students have to meet the faculty on a scheduled basis and should follow the assessment process.

c. Generally, there will be no regular classes, but students will receive the necessary guidance to attain the skills to complete the course.

d. Student should give the exams/assignments/quizzes etc. as per the evaluation schedule for assessment as per the original components of the course.

e. Faculty would award marks for each of the evaluation items and would give a grade to the student at the end of completion of all the components successfully.

f. The maximum passing grade to be given in formative assessment would be P grade only.

g. The attendance of the regular course is taken as it is for the formative assessment and attendance rules given in section 3.1 (b) will be applicable.

h. A student can take only one formative assessment. If the student fails in the formative assessment, then he/she has to attend regular classes and repeat the entire course in subsequent semester.

i. Length of the Formative assessment is from the date of announcement of results and before the end of next semester.

j. Students failing in Spring semesters, should take the formative assessment during the summer break and the same must be completed before four weeks from the start of the next academic year.

12 ASSESSMENT OF PERFORMANCE

13.1 There will be continuous assessment of a student's performance throughout the semester and grades will be awarded by the teacher concerned or the appropriate committee appointed for this purpose on the following basis.

a. In case of courses,

I. For theory courses, the evaluation will be based on instructors assessment, quizzes, mid semester examination and end semester examination, and

II. For laboratory courses, the evaluation will be on the basis of attendance, assessment of the tasks assigned and end semester test/viva.

b. The evaluation of the project work will be based on sessional work assigned by the supervisor, seminar, project report and project evaluation committees' assessment.

c. In case of other requirements such as seminar, extra academic activities etc., evaluation will be as determined by the grade awarding authority.

d. The mid-semester and end-semester examination will be conducted centrally by the Academic Section of the Institute every semester. Every theory course must have two mid-semesters and one end-semester examination. The durations of the examinations will be as laid down by the Senate from time to time. The class-tests or quizzes will be organized by the instructor concerned.

e. The weightage assigned to different components of assessment will be announced by the concerned instructor(s) in the beginning of the semester.

f. The results of performance of the students in the mid-semester examination shall be announced by the instructors. The following process will be followed to allow corrections in evaluations:

I. For spot verification by students, the evaluated answer scripts shall be made available during one of the lecture classes/lab classes/tutorials or during a special session, as may deemed fit by the instructor;

II. At least a week ahead of the notified time-schedule for verification of answer scripts by the students, individual course instructor(s) may display the model answers relating to the question paper, through website for information to the students;

III. Students shall point out discrepancies in the evaluation by the instructor, if any, on the spot

IV. After conclusion of the spot verification of answer scripts, the students shall be allowed to carry their answer scripts; and no claim whatsoever shall be entertained afterwards.

g. The final grades for a course must be submitted after the end-semester examination by the concerned instructor(s) to their Class Committee Chair for onward transmission to Academic Section within the date stipulated in the academic calendar (academic almanac).

13.2 Bachelor Thesis Projects (BTP) :

(a) A student is required to do one year BTP project, normally in 6th and 7th semesters. A team of two students will be allowed to do a BTP project. The project work is normally in two stages, each spread over a semester. At the end of the first stage, the student is required to submit a preliminary report of his/her work by a prescribed date to be evaluated by an Internal Project Evaluation Committee. The second stage of the work is continued in the following semester.

(b) The second stage of project work is also evaluated in the same manner as in the first stage. However, in the second stage the students are required to submit unbounded copies of the report for examination.

On successful completion of the oral examination, the grade will be given to each student by both evaluation committee members and the supervisor for his/her overall performance.

(c) For students having insufficient progress either in the second stage of a two stage project or in a single stage project, extension of time in the summer vacation not exceeding ten weeks from the announced last date for submission of the project report may be granted. In such cases, the concerned students will be temporarily awarded an 'I' grade. Further, if the reports are not submitted within the allowed period of time, the 'I' grade will be automatically converted to an 'F' grade.

13.3 Honors Programme:

(a) A student at the end of 2nd year is given an opportunity to get into B.Tech Honors programme. A student registered for B.Tech Honors has to take additional 8 credits over and above the normal credits for regular B.Tech. Degree. In order to do Honors, the student must work on a particular topic / area for a period of 2 years (3rd and 4th year) under a particular faculty/faculties. The entry criteria for Honors programme are:

(1) A minimum CGPA of 8.0 in 1st two years.
(2) The student must be willing to work with a particular supervisor(s) who should agree to work with the student as well.
(b) A student working on his Honors does not do separate BTP. A student is allowed to change his/her Honors supervisor only once. Moreover, if the student drops from Honors at the end of any semester, the student's project in the 6th and 7th Sem. would be considered as his/her BTP. The honors work done in the 5th Semester will be nullified.

IndiaCode

METHOD OF AWARDING LETTER GRADES

13.4 The instructor(s) shall submit a copy of letter grades to the Academic section, by the due date specified in the Academic Calendar.

13.5 End-semester examination answer scripts and the sheet containing details of marks converted to grades shall be preserved by the instructor(s) concerned for a period of one semester.

13.6 Changes in Grades Already Awarded: If a student feels that he/she has not been awarded a deserving grade in a course, he/she may request the instructor of the course within one week of the start of the next semester, to show him/her the end-semester answer script in order to ensure that all the questions have been evaluated properly. In case of any change in grade, the same with due justification has to be communicated by the Instructor to the Dean (Academic) through the Programme Coordinator.

(c) EXAMINATIONS

14.1 A student may be debarred from appearing in the end semester examination due to the following reasons:

a. If any disciplinary action is taken against him/her.

b. On recommendation of a teacher, if his/her attendance in the Lecture/Tutorial/ Practical classes has less than the prescribed minimum during the semester.

(d) MAKE-UP EXAMINATIONS

15.1 Students who have missed an end-semester examination on valid reasons and have been awarded "I" grade are eligible for a make-up examination which may be held a few days after the end semester examinations. Alternatively, make-up examination for the course can be used a make-up examination.

15.2 No make-up examination will be scheduled for the mid-semester examination and quizzes. It is entirely up to the instructor to ascertain the proficiency of the student by whatever means considered appropriate to him/her if he/she is satisfied of the bonafides of the case.

16. WITHHOLDING OF GRADES

16.1 Grades shall be withheld when the student has not paid his/her dues or when there is a disciplinary action pending against him/her.

17. EXIT CRITERION

17.1 A student may quit the program, if he / she fails to complete the minimum CGPA requirements of 5.0 and above within the stipulated period of time of the B.Tech Degree Programme.

17.2 A student may quit honors programme at any point of time during semester 5, 6, 7 and 8 and convert his work done during semesters 6 and 7 would be considered as BTP project.

18. ELIGIBILITY FOR THE AWARD OF B. TECH. DEGREE

18.1 A student shall be declared to be eligible for the award of B. Tech. degree if he/she has:

a. Completed all the credit requirements for the degree with a grade "P" or higher grade in each of the courses (Theoretical, Laboratory, Workshop, Sessional etc.), Seminar, Project etc.

b. Completed the minimum required total credits for B.Tech and B.Tech degree with Honors.

c. Satisfactorily completed all the non-credit requirements for the degree viz Extra Academic Activities, Industrial Training, etc. (if any).

d. No dues to the Institute, Hostels, NSS etc.

e. No disciplinary action is pending against him/her.

18.2 The award of B. Tech. degree must be recommended by the Senate and approved by the Board of Governors of the Institute.

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy. (TE)

IndiaCode